रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 1974/पौष 14, 1895

No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 1974/PAUSA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

New Delhi, the 4th January 1974

S.O. 21(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1974.

2. In Form A appended to the Wealth-tax Rules, 1957, in Part V, in the first column, after item (4), the following item shall be inserted, namely:—

"(5) In the case of a Hindu undivided family, whether the Hindu undivided family has at least one member whose net wealth assessable for the assessment year exceeds Rs. 1,00,000? If the reply to this question is in the negative, please attach declarations to this effect from all members of the Hindu undivided family.".

[No. 538/F. No. 143(5)/73-TPL.]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

धन-कर

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1974

का० आ० 21(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धनकर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1974 है ।

(2) ये पहली अप्रैल, 1974 को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-कर नियम, 1957 से संलग्न प्ररूप क के भाग 5 के प्रथम स्तम्भ में, मद (4) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) क्या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, उसका कम से कम एक सदस्य ऐसा है जिसका निर्धारण वर्ष में निर्धारणीय शुद्ध धन 1,00,000 रुपए से अधिक है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर 'ना' में हो, तो कृपया हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सभी सदस्यों से इस आशय की घोषणाएं संलग्न करे ।"

[सं० 538/फा० सं० 143(5)/73—टीपीएल]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974